बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
कोशी प्रमंडल सहरसा

पारूप अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 85/09–10

1. परिचयात्मक

(क) अंकेक्षित लेखा का नामः– राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल पुर्णिया का राजस्व प्राप्ति एवं कोषागार में जमा (राशि का अंकेक्षण)

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत् लेखावधि :– 1998–99 से 2001–02 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नामः– पथ निर्माण विभाग

(ध) नियंत्री पदाधिकारी का नाम,

पदनाम और कार्यालय :– 1. श्री वी पी0 राय, अधीक्षण अभियंता
दि0 7.10.98 से 31.7.99 तक

2. श्री सुधीर कुमार, अधीक्षण अभियंता
दि0 25.8.99 से 31.01.2000 तक

3. श्री भोलनाथ पुरण ,अधीक्षण अभियंता
दि0 6.3.2000 से 13.7.2000 तक

4. श्री नवल किशोर प्रसाद, अधीक्षण अभियंता
दि0 14.07.2000 से 19.7.2001 तक

5. श्री जय वल्लभ झा, अधीक्षण अभियंता
दि0 20.07.01 से 31.12.01 तक

6. श्री अनीक चन्द राम, अधीक्षण अभियंता
दि0 22.3.02 से 31.3.02 तक

अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल कर्यालय पुर्णियाँ

(ड़) अंकेक्षणावधि में लेखा प्रभारी पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों का नाम,पदनाम एंव कार्यालयः–

श्री सुरेश कुमार दास कार्यापालक अभियंता रा0पथ
प्रमंडल पुर्णियाँ दि0 14.12.97 से 23.11.98 तक

2. श्री श्याम वदन सिंह कार्यापालक अभियंता
दि0 24.11.98 से 30.6.01 तक
3. श्री अवधेश कुमार सिंह कार्यापालक अभियंता
दि0 1.7.01 से 31.3.02 तक
4. श्री देव नारायण यादव देव दि0 1.4.98 से 31.01.01
लेखा पदधिकारी प्रमंडलीय लेखापाल
5. श्री शिवनन्दन प्र0 सिंह दि0 01.2.01 से 31.11.01
तक प्रमंडलीय लेखापालन
6. दि0 1.1.02 से दि0 01.2.002 तक प्रभार में लेखा
पदाधिकारी का नाम अज्ञात।
7. श्री दिनेश्वर प्र0 सिंहा दि0 1.3.02 से दि0 31.3.02
तक लेखा पदाधिकारी
8. श्री रधुनाथ मल्लिक, रोकड़ पाल दि0 1.4.98
से 31.3.2000 तक
9. श्री पंचानन सिंह रोकड़ पाल दि0 1.4.2000 से
31.3.2002 तक

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम एवं पदनाम–

1. श्री किशोर कुमार सिंह रोकड़ पाल
2. श्री रणजीत कुमार सिंहा लिपिक

(छ) अंकेक्षको/वरीय अंकेक्षको का नामः–

1. श्री श्याम कुमार झा वरीय अंकेक्षक(2)
2. श्री उग्रनारायण मिश्र वरीय अंकेक्षक (2)
3. श्री अजय कुमार सिंह वरीय अंकेक्षक (2)
4. श्री विजय कुमार यादव वरीय अंकेक्षक (2)

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि :– दि0 23.06.2009

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि :– दि0 07.11.09

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस :– 20 कर्या दिवस।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/ अप्रस्तुत

अभिलेखो की सूची – प्रतिवेदन के परिशिष्ट –'क' पर अंकित है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

इस लेखा का अंकेक्षण वित्त(अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक 3286 दि0 15–9–60 में निहित निदेश तथा वित्त(अंकेक्षण) विभागीय कार्यालय ज्ञापांक 129 दि0 5.8.08 तथा ज्ञापांक 193 दि0 26.11.2008 के द्धारा निर्गत् पत्रो के आलोक में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर सम्पन्न किया गया। राजस्व प्राप्ति एवं कोषागार में जमा का अंकेक्षण संबंधित यह वित्त (अंकेक्षण) विभाग का प्रथम चक्र सामान्य अंकेक्षण था। इस कार्यालय का कार्य राष्ट्रीय उच्च पथो के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में पथ निर्माण एवं मरम्मत तथा रख रखाव करना है।

चूँकि यह अंकेक्षण मात्र राजस्व प्राप्ति एवं कोषगार मे जमा राशियो के सत्यापन तक सीमीत था फलतः मात्र प्राप्त राजस्व राशि का कोषागार अभिलेखो मे अंकित जमा राशियो से शत–प्रतिशत सत्यापन संपन्न किया गया एवं सही पाया गया। महालेखाकर या उच्चाधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन की संचिका अंकेक्षण में नही उपलब्ध कराया गया जिससे अनुपलान की स्थिति नही ज्ञात हो सकी।

(ड) वित्तीय परिशंसा :–

विभागीय कार्य क्रमानुसार यह अंकेक्षण राजस्व प्राप्ति एवं कोषागार में जमा से सम्बंधित था फलतः आवंटन व्यय की जाँच नही की गई। वर्ष 98–99 से वर्ष 2001–02 तक रोकड़ पंजी मे अंकित प्राप्त राजस्व एवं कोषागार में जमा की गई राशियों की विवरणी जो इस प्रतिवेदन की परिशिष्ट –'ख' संलग्न है से स्पष्ट है कि वर्ष 98–99 में कुल 2,36,110.50 रू0 प्राप्त राजस्व राशि में से मात्र 1,18,493.50 रू0 ही कोषागार में जमा कर 1,17,617.00रू0 वर्ष 99–2000 में (4,52,585.00–4,18,208.00) = 34,377.00रू0 ,वर्ष 2000–01 में (5,77,758.00–5,50,022.00) = 27,736.00रू0 तथा वर्ष 2001–02 में (5,27,080.00–5,02,994.00)= 24,086.00 रू0 राजस्व प्राप्ति की राशि अवशेष पाया गया जिसे कोषागार में जमा होना चाहिऐ था। इस प्रकार विभिन्न अवधि में राशि हस्तगत एवं अग्रिम के रूप विनियोजित किया गया प्रतीत हुआ जैसा कि परिशिष्ट 'ग' पर अंकित संवरण रोकड़ विवरणी से स्पष्ट है।

रोकड़ पंजी पर कही भी अवशेष राजस्व की राशि का मदवार अवशेष विवरण अंकित नही पाया गया और न ही अलग से राजस्व–प्राप्ति का रोकड़ पुस्त में संधारित पाया गया जिससे अवशेष राशि 24086.00रू0 का मद एवं अवधि स्पष्ट नही किया जा सका।

अतः उच्चाधिकारी का ध्यान बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 (संशोधित) में स्पष्ट उल्लिखित राजस्व की समीक्षा एवं रोकड़ पुस्त पर प्रमाण –पत्र कि ''राजस्व के रूप में संग्रहित राशि अनावश्यक रूप से अवशेष नही है''अंकित कराने हेतु आकर्षित किया जाता है।

(i) रोकड़ का भौतिक सत्यापन :–

वित्त(अंकेक्षण) विभगीय ज्ञापांक 503 दि0 29.1.76 में निहित निदेशानुसार अंकेक्षण प्रांरभ तिथि 23.06.09 को अंकेक्षण के समक्ष रोकड़ का भौतिक सत्यापन संपादित करना अपेक्षित था लेकिन निकासी व्ययन पदधिकारी द्धारा रोकड़ का भौतिक सत्यापन अंकेक्षण दल के समक्ष नही किया गया क्योकि संवरण रोकड़ में नगद स्वरूप शून्य था। निकासी व्ययन पदाधिकारी द्धारा अवशेष राशि का विवरण अंकित कर रोकड़ पुस्त अभिप्रमानित किया गया। संवरण रोकड़ 16,22,870.15रू0 जो सभी राशि अग्रिम के रूप में अंकित पाया गया जिसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट –'ध' पर अंकित है।

(ii) अंकेक्षण अवधि में प्रारंभण रोकड़ एवं
संवरण शेष का वर्षिक व्यौराः–

अंकेक्षण अवधि में प्रारंभण रोकड़ एवं संवरण शेष का व्यौरा इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ग' पर अंकित है।

(iii) अंकेक्षणाधीन कार्यालय के स्वीकृत,
कार्यरत एवं रिक्त पद का विवरण :–

स्वीकृत ,कार्यरत एवं रिक्त पदो का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ड0' पर अंकित है।

भाग–1

2. राजस्व प्राप्ति की अवशेष राशि 24086.00रू0
कोषागार में नही जमा कर व्यय किया जाना आपत्तिन्तगर्त :–

वर्ष 98–99 से 2001–02 तक रोकड़ पंजी मे अंकित राजस्व प्राप्तियों एवं कोषागार में जमा राशि की जाँच में पाया गया कि उकृ अवधि में प्राप्त राजस्व की राशि मे से वर्षो से 24,086.00रू0 कोषागार में जमा नही किया गया था जैसा कि इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' से स्पष्ट है।

वित्त विभाग के ज्ञापांक टी 2–101–768–1946 दिनांक 14.2.79 के अनुसार बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 का संशोधन करते हुए ''प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदधिकारी द्धारा प्रत्येक माह के 15 एवं 30 तारीख को नकद पंजी एवं नकद राशि की जाँच कर रोकड़ पंजी पर राजस्व के रूप में संग्रहीत राशि अनावश्यक रूप से नही रखी गई है '' का प्रमाण पत्र अंकित करना अपेक्षित था जो नही पाया गया साथ ही,समीक्षा नही किये जाने के कारण यह राशि 98–99 से ही जमा हेतु लंबित पाया गया।

अतः 24,086.00 रू0 राजस्व रूप में प्राप्त राशि अनावश्यक रूप से अन्य मदो में व्यय किए जाने के कारण (जैसा कि रोकड़ पंजी के अवशेष से विदित होता है।) अनियमित था। अतः उक्त राशि का कोषागार में जमा किए जाने को सुनिश्चिम करने हेतु उच्चधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तबतक उक्त व्ययगत राशि को आपत्तिअन्तर्गत रखा जाता है। राशि का जमा सुनिश्चित कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

3. राजस्व के रूप मे प्राप्त राशि का 84,000.00रू0 अन्य मदों मे विचलन कर व्यय किया जाना आपत्तिन्तर्गत :–

वर्ष 98–99 से 2001–02 तक के रोकड़ पंजी में प्राप्त राजस्व एवं कोषागार में जमा राशियों की जाँच में पाया गया कि राजस्व के रूप में संग्रहीत राशि 84,000.00रू0 कोषागार मे नही जमा कर अग्रिम आदि (योजना या गैर योजना ज्ञात नही) में व्यय

किया गया था जो दि0 31.3.2000 को कोषागार सत्यापन के क्रम में आवंटन से चेक द्वारा बुक ट्रांसफर कर शीर्ष 8782 मे जमा कर दिया पाया गया।

योजना एवं गैर योजना मद में उस हेतु आवंटित राशि से ही व्यय किया जाना चाहिए था। किंतु ऐसा नही कर राजस्व मद की संग्रहीत राशि रू0 84,000.00 रू0 को व्यय किया गया पाया गया जो अनियमित है जिसका विवरण परिशिष्ट 'ख' पर अंकित है।

अतः उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए सुझाव है कि राजस्व की राशि को कोषागार में जमा करने के बदले व्यय करने के औचित्य की जाँच करते हुए राजस्व की राशि रूपए 84,000=00 अविलम्ब कोषागार में जमा कराने की कारवाई किया जाय। तब तक व्यय की राशि 84,000.00 रू0 को अपत्ति अन्तर्गत्त रखा जाता है। अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी सूचित किया जाय।

भाग–2

4. जलकर,फलकर सैरातपंजी का संधारण नही किया जाना अनियमित :–

जलवर फलकर नीलामी से प्राप्त राशियों की जाँच में पाया गया कि उच्च पथ अनुमंडल कर्यालय कुर्सेला,पुर्णियाँ के जलकर फलकर से संबंधित सैरात पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया केवल रोकड़ पंजी में अंकित प्राप्तियों तथा व्ययों से प्रमंडल कर्यालय में जमा राशि का सत्यापन कराया गया। भविष्य में जलकर फलकर की विस्तृत विवरण एवं वर्षवार भाग व प्राप्ति से संबंधित सैरात पंजी निश्चित रूप से संधारित किया जाय जिससे सैरात सभ्पतियो का वास्तविक विवरण के साथ पुर्व वर्ष की प्राप्ति तथा वर्त्तमान वर्ष की प्राप्ति की समीक्षा संभव हो सके।

5. मनी रसीद निर्गत नही किया जाना अनियमित :–

विभिन्न प्राप्तियों के विरूद्ध कार्यालय द्वारा कोषागार से निर्गत् मनी रसीद को निर्गत् किया जाना चाहिऐ था जिसके कार्यालय प्रति से प्राप्त राजस्व की वास्तविक राशि परिलक्षित हो सके। कार्यलय द्वारा मनी–रसीद का निर्गत् नही किया गया था जिससे वास्तविक प्राप्त राशि का औचित्य सुनिश्चित नही होता है अतः उच्चाधिकारी का ध्यान मनी रसीद निर्गत् सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक रूप से आकर्षित किया जाता है।

6. आईबी रेन्ट रजिस्टर एवं अलकतरा ड्रम एवं अन्य अनुपयोगी वस्तु का भंडार पुस्त अनुपलब्धता अनियमित :–

अंकेक्षण मे आई0 बी0 अरक्षण पंजी नही उपलब्ध कराया गया जिससे अनुमंडल के रोकड़ पंजी में प्राप्त एवं जमा राशि से ही प्रमंडल के रोकड़ पंजी के प्राप्तियो का सत्यापन संपन्न किया जा सका। लेकिन आई0 बी0 रेन्ट प्राप्ति की वास्तविकता की जाँच मनी रसीद और आई0 बी0 अरक्षण –पंजी के अभाव में संभव नही हो सका । अतः उक्त पंजी की उपलब्धता के संबंध में उच्चाधिकारी द्वारा जाँच कर राशि प्राप्ति का सत्यापन सुनिश्चित कराने हेतु ध्यान आकर्षित किया जाता है। मौखिक रूप से आई0 बी0 के संबंध में कुर्सेला एवं किशनगंज 2–2 कमरा तथा पुर्णियाँ में चार कमरा सुचित किया गया।

मिलान एवं जाँच कर्त्ता का हस्ताक्षार

(1)

(2)

लेखा नियंत्रक

वित्त(अंकेक्षण) विभाग,बिहार पटना

परिशिष्ट–'क' (कंडिका 1(ट) से संबंधित)

अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. रोकड़ पंजी
2. कोषागार रेमिटेस पंजी (1.4.98 से 29.3.2000 तक एवं 22.09.01 से 31.3.02 तक)
3. परिमाण विपत्र पंजी
4. कोषागार फारम–51
5. अंचरण एवं अनुमंडल का रोकड़ पंजी
6. कार्यरत एवं स्वीकृत बल की संचिका
7. सैरात नीलामी संचिका

अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. कोषागार चालन की कार्यालय प्रति
2. कोषागार रेमिटेस पंजी 30.3.2000 से 21.9.2001 तक
3. प्रोपर्टी रजिस्टर
4. भंडार–पुस्त (अलकतरा ड्रम एवं अन्य अनुपयोगी वस्तु)
5. सैरात (भांग एवं जमा) पंजी
6. आई0 बी0 अरक्षण पंजी
7. मनी रसीद की कर्यालय प्रति (रोकड़ पंजी के विवरण नही)
8. अलकतरा ड्रम नीलामी संचिका।